संशोधन

संख्याः-16/2021/150/अडतीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2021**

विषयः-कोविड-19 के टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना व उक्त कार्य हेतु पाईपिंग आदि, ऑक्सीजन सिलेन्डर प्रोक्योरमेन्ट तथा सरकारी अस्पतालों एवं राजकीय चिकित्सा महाविधालयों के लिए अतिरिक्त बेड स्थापना एवं अन्य सुविधाओं के क्रय हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-141/अडतीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1, दिनांक-25.04.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड महामारी के पुन: बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनहित में सम्यक विचारोंपरान्त कोविड-19 से सम्बन्धित निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-119/38-9-2020-500(39)/2013टी0सी0-1, दिनांक-26.03.2020, शासनादेश संख्या-122/38-9-2020-500(39)/2013टी0सी0-1, दिनांक-31.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-123/38-9-2020-500(39)/2013टी0सी0-1, दिनांक-07.04.2020 में संशोधित करते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(2) के अनुसार निम्न प्राविधानों को जोड़ने का निर्णय लिया गया:-

(2) (क) सरकारी अस्पतालों / मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना।
(ख) सरकारी अस्पतालों / मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु पाइप लाइन / डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की स्थापना।
(ग) ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर का क्रय।
(घ) ऑक्सीजन का क्रय।
(इ) जनपद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना।
(च) आर0टी0-पी0सी0आर0 जॉच हेतु मशीन व अन्य उपकरण का क्रय।

2- उक्त प्रस्तर-2 (ग), (घ), (इ), (च) के सम्बन्ध में कतिपय जन प्रतिनिधियों द्वारा ये पृच्छा की गयी है कि उक्त व्यवस्था केवल सरकारी अस्पतालों / संस्थानों / मेडिकल कालेजों के लिए है अथवा निजी अस्पतालों / संस्थाओं / मेडिकल कालेजों के लिए भी है।

3- उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त व्यवस्था मात्र सरकारी अस्पतालों / राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (सरकारी मेडिकल कालेज)/बी0एच0यू0/ए0एम0यू0 के लिए ही है। निजी अस्पतालों/ निजी चिकित्सा संस्थानों / निजी मेडिकल कालेजों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- तद्नुसार सम्बन्धित शासनादेश संख्या-141/अडतीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1, दिनांक-25.04.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश के शेष प्रस्तर यथावत रहेंगे।

भवदीय

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

संख्याः-16/2021/150(1)/अड़तीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1, तददिनॉक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।